

राजस्थान –सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर
 क्रमांक / नर्सिंग / सामान्य-नर्स-2 / नियम / स्थाई / श्रीगंगानगर / 2018 / दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2 (सीधी भर्ती-2013)/2016/60 दिनांक 10.02.16 एवं क्रमांक नर्स-2 (सीधी भर्ती-2013)/2016/230 दिनांक 09.08.2016 के द्वारा निम्न का नर्स-2 के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्तियों प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित/स्थायी करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गयी रिधी से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स-2 के पद की पै मैट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र०स०	नाम कर्मचारी	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	कार्यग्रहण तिथि	परीवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	लक्ष्मी कुमारी	30.07.86	श्रीगंगानगर	12.02.16	11.02.18	12.02.18
2	भानी सिंह	10.06.88	श्रीगंगानगर	12.02.16	11.02.18	12.02.18
3	सुखवन्ती	04.03.86	श्रीगंगानगर	12.02.16	11.02.18	12.02.18
4	परमेश्वरी चौहार	02.02.81	श्रीगंगानगर	12.02.16	11.02.18	12.02.18
5	रानी कुमारी	01.07.86	श्रीगंगानगर	12.02.16	11.02.18	12.02.18
6	जसवीर कौर	03.11.89	श्रीगंगानगर	15.02.16	14.02.18	15.02.18
7	प्रमोद कुमारी	10.06.78	श्रीगंगानगर	25.02.16	24.02.18	25.02.18
8	फिरणदीप	20.01.91	श्रीगंगानगर	11.03.16	10.03.18	11.03.18
9	सुमित्रा रानी	13.04.83	श्रीगंगानगर	20.02.16	26.02.18	27.02.18
10	देवेन्द्र कुमार	12.09.86	श्रीगंगानगर	12.08.16	11.08.18	12.08.18
11	सर्वजीत कौर	12.07.87	श्रीगंगानगर	12.02.16	11.02.18	12.02.18

क्रम संख्या (9) पर अंकित सुमित्रा रानी नर्स-2 द्वारा परिवीक्षा काल में 37 का असाधारण अवकाश का उपभोग करने पर वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक F.1 (2) FD (RULES)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की गई है।

-sd-

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
 राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / नर्सिंग / सामान्य-नर्स-2 / नियम / स्थाई / श्रीगंगानगर / 2018 / 245

दिनांक:- 31/12/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन, बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को भेजकर लेख है की सर्वजीत कौर नर्स-2 के पूर्व में गलत प्रस्ताव क्यों भिजवाये गये के संबध अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।
3. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर, रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
 राजस्थान जयपुर।